झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–1027 वर्ष 2017

श्रीमती वीणा चंद्रा, पत्नी–अरविंद चंद्रा, निवासी–फ्लैट सं0 99/100, रामायण एन्क्लेव, रिम्स बाईपास रोड, गिटिल कोचा, डाकघर और थाना–कोकर, जिला–रांची–834001

.... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखण्ड राज्य
2. श्रीमती एनी रिंकू कुजूर, जिला कलेक्ट्रेट, रांची, थाना–कोतवाली, डाकघर और जिला–रांची, पिन–834001 के माध्यम से जिला प्रमाण पत्र अधिकारी।
3. भारतीय स्टेट बैंक की हीनू शाखा का प्रतिनिधित्व शाखा प्रबंधक, डाकघर और थाना–डोरंडा, जिला–रांची, 834002 के माध्यम से किया गया।
4. प्रभारी अधिकारी, डोरंडा पुलिस स्टेशन, डाकघर और थाना–डोरंडा, जिला–रांची, 834002

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन**

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री ए0 रशीदी, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिएः– श्री राजीव आनंद, अधिवक्ता

4 / 17.04.2018 याचिकाकर्ता ने सर्टिफिकेट केस नंबर 159 (एस0बी0आई0) हीनू / 2015–16 में सर्टिफिकेट ऑफिसर द्वारा दिनांक 23.02.2016 और 26.11.2016 को पारित आदेश को चुनौती दी है।

याचिकाकर्ता के वकील प्रस्तुत करते हैं कि उसके खिलाफ 4,48,323 / – रूपये की राशि की वसूली के लिए प्रमाणपत्र कार्यवाही शुरू की गई थी। वह प्रस्तुत करते हैं कि बिहार और उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 की धारा 7 के तहत 12.01.2016 को एक नोटिस जारी किया गया था। वह प्रस्तुत करते हैं कि इस याचिकाकर्ता के खिलाफ दिनांक 23.02.2016 को एक डिसट्रेस वारंट जारी किया गया है जब प्रमाणपत्र अधिकारी द्वारा नोटिस की तामिला रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई थी। वह प्रस्तुत करते हैं कि 26.11.2016 को फिर से प्रत्यर्थियों द्वारा एक नया डिसट्रेस वारंट जारी किया गया था। वह प्रस्तुत करते हैं कि बिहार और उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 की धारा 7 के तहत नोटिस की तामिला रिपोर्ट प्राप्त किए बिना, याची के खिलाफ डिसट्रेस वारंट जारी करना बिल्कुल गलत है।

राज्य के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि चूंकि याची प्रमाणपत्र अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ था, उसके पास डिसट्रेस वारंट राजरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

मैनें पार्टियों को सुना और मैनें रिकॉर्ड परिशीलन किया है। उपर्युक्त प्रमाण पत्र मामले में दिनांक 12.01.2016 को एक नोटिस जारी किया गया था। उक्त नोटिस बिहार और उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 की धारा 7 के संदर्भ में जारी किया गया है। दिनांक 12.01.2016 के आदेश फलक से स्पष्ट रूप से यह पता चलता है कि नोटिस की तामिला रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद रिकॉड को पेश किया जाना चाहिए था और बाद की कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई थी। यह रिकॉर्ड 23 मार्च, 2016 पेश किया गया था। दिनांक 23. 03.2016 के आदेश से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि बिहार और ओडिशा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 की धारा 7 के तहत कजारी नोटिस की तामिला रिपोर्ट अभी तक प्रमाण पत्र अधिकारी को प्राप्त नहीं हुई है। इसके बाद याचिकाकर्ता के खिलाफ डिसट्रेस वारंट जारी किया गया। इसी तरह एक बार फिर 26 नवंबर, 2016 को एक डिसट्रेस वारंट जारी किया गया, जिसमें रिकॉड पर कोई तामिला रिपोर्ट नहीं थी।

इस प्रकार, रिकॉर्ड से मुझे मालूम होता है कि चूंकि प्रमाणपत्र अधिकारी ने पहले ही तामिला रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद ही रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था, इसलिए 23.03.2016 को उनके समक्ष उस रिकॉर्ड को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था। इसे तामिला रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए था।

इसके अलावा दिनांक 23.03.2016 के आदेश से यह स्पष्ट है कि तामिला रिपोर्ट प्राप्त किए बिना एक डिसट्रेस वारंट जारी किया गया है। प्रमाणपत्र अधिकारी याचिकाकर्ता के खिलाफ उस समय डिसट्रेस वारंट जारी नहीं कर सकता था जब तक तामिला रिपोर्ट उसके सामने नहीं रखी गई थी। इस प्रकार, 23.03.2016 दिनांकित आदेश और उसके बाद 26.11.

2016 दिनांकित आदेश, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ डिसट्रेस वारंट जारी किया गया है, बिल्कुल गलत है। इसलिए, मैनें 23.03.2016 और 26.11.2016 के आदेश को रद्द कर दिया, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ डिसट्रेस वारंट जारी किया गया था।

चूंकि याची इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ है, मैं आज से छह सप्ताह के भीतर बिहार और उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 की धारा 9 के तहत आपत्ति के साथ प्रमाण पत्र अधिकारी के समक्ष पेश होने के लिए याचिकाकर्ता को निर्देश देता हूँ। यदि वह उपर्युक्त समय सीमा के भीतर कोई आपत्ति दर्ज कराता है तो प्रमाण पत्र अधिकारी राशि निर्धारित करेगा और कनून के अनुसार अंतिम आदेश पारित करेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि आज से छह सप्ताह के भीतर यचिकाकर्ता उपस्थित नहीं होता है, तो इस आदेश को भी प्रभावी नहीं किया जाएगा और याचिकाकर्ता के खिलाफ डिसट्रेस वारंट लागू किया जाएगा।

उपरोक्त निर्देश के साथ इस रिट आवेदन का निपटान किया जाता है।

(आनंदा सेन, न्याया0)